संख्या 151 /V –2011– 01(एन0एल0)/2008.

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।

आवास अनुभाग–1 देहरादूनः दिनॉक 06 अप्रैल, 2011.

विषयः उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–437/V –आ0–10– 01(एन0एल0)/08 दिनांक 01–3–2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के लागू रहने की तिथि दिनांक 28–2–2010 तक निर्धारित थी।

उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 135/ V –2010– 01(एन0एल0)/2008 दिनांक 25 मई, 2010 द्वारा नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31–3–2011 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–135/V–2010–01(एन0एल0)/2008 दिनांक 25 मई, 2010 में संशोधन करते हुए निर्गत **नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31–3–2012 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01–3–2009 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

कृपया नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01–3–2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।